CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Articles 124 and 155)

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI EDUARDO FALEIRO: I introduce the Bill.

15.05 hrs.

JANATA TRUSTEESHIP BILL—*contd.* by Dr. Ramji Singh.

MR. SPEAKER: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Dr. Ramji Singh on the 24 November, 1978, namely:—

"That the Bill to provide for the creation of Trust Corporations for further development of enterprises and for matters connected therewith be taken into consideration."

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : इस तनाव के वातावरण के बाद एक रचनात्मक प्रस्ताव के सम्बन्ध में सदन को विचार करने का अवसर मिला है।

पिछली बार हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। यह ट्रस्टीशिप का विचार कोई नया नहीं है। यह गांधी जी का विचार है जो विश्व को दिया हुआ है। इसी सदन में डा० लोहिया ने इस को रखने का प्रयास किया था। उसके बाद श्री जार्ज फर्नांनडिस ने इस को उपस्थित किया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक ट्रस्टीशिप बिल रखा था। इसी सदन में श्री अर्जुन सिंह भदौरिया और मेरे मित्र श्री उग्रसेन ने भी इसके सम्बन्ध में बिल उपस्थित किए थे। इस सब से यह समझा जा सकता है कि इस के पीछे जो भावना है वह कितनी पुरानी है और कितनी लोकप्रियता इस चीज को प्राप्त है। सदन में हर तरफ से और सभी दलों के माननीय सदस्यों की ओर से इसको काफी समर्थन प्राप्त हुआ है।

15.06 hrs.

[SHRI N. K. SHEJ WALKAR *in the Chair*]

कुछ बातें जो उस दिन बहस के दौरान उठाई गई थीं, उनका मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। लोगों का कहना है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त वास्तव में पूंजीवाद का समर्थन करता है और समाजवाद के विरोध में जाता है। सचमुच में गांधीजी से भी यह प्रश्न बराबर पूछा जाता रहा था। एक बार उन से पूछा गया कि ट्रस्टी किस प्रकार बनेंगे, समझा बुझा कर बनेंगे क्या ? समझा बुझा कर अगर बनने होते तो बिड़ला जी जो गांधी के बिल्कुल करीब थे--वे भी ट्रस्टी नहीं हो सके तो कैसे यह चीज व्यावहारिक होगी ? उन से पूछा गया :

"How then will you bring about trusteeship? is it by persuasion?"

इसका उत्तर गांधी जी ने यह दिया था :

"Not merely by verbal persuasion. I will concentrate on my means."

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated dater 8-12-78.

[डा० रामजी सिंह]

यह यंग इंडिया में कहा था । इससे भी आगे जा कर गांधी जी ने विचार दिया था :

"If, however, inspite of the utmost effort the rich do not become guardians of the poor in the true sense of the term and the latter are more and more crushed and die of hunger, what is to be done? In trying to find out a solution of their riddle, I have lighted on non-violent non-cooperation and civil disobdience as the right and infallible mean. The rich cannot accumulate wealth without the cooperation of the poor in the society."

"All exploitation is based on cooperation, willing or forced, of the exploited. However much we many detest admitting it, the fact remains that there would be no exploitation if the people refuse to obey the exploiter. But self comes in and we hug the chairs to bind us. This must cease."

इस वास्ते यह कहना कि ट्रस्टीशिप समाजवाद के खिलाफ है बिल्कुल गलत है ।

दूसरा प्रश्न यह था कि अर्थ शास्त्र के दृष्टिकोण से यह सिद्धान्त कितना उपयोगी और मान्य है ? विश्व के एक बड़े अर्थ शास्त्री डा०ई०एफ० शूमाखेर ने यह जो किताब है **इक्वेलिटी थ्रू ट्रस्टीशिप** इसके फोरवर्ड में जो लिखा है वह मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । उन्होंने कहा है कि दुनिया के सामने इस समय दो अर्थ शास्त्र हैं । एक तो पूंजीवादी अर्थ शास्त्र है और दूसरा साम्यवादी अर्थ शास्त्र । दोनों की कमियों को उन्होंने सैद्धान्तिक दृष्टि से रखा है ।

उन्होंने कहा है :

"The theory of capitalism and private enterprise suggests that the only way to run an economy efficiently is to let everyone pursue mainly, if not exclusively, his own advantage."

"The theory of communism is that the economy works best when everybody acts according to 'plan' for the public interest."

तो पब्लिक इंटरेस्ट की कैसे भावना आयेगी ? इसीलिए वह कहते हैं :

"Both theories are plausible enough, but in practice they work madly."

In the end he said—

"If India should be able to move along the path of EQUALITY THROUGH TRUSTEESHIP as set out, she could become a beacon to the world. By bringing into life again the best of her marvellous additional teachings, she could become the most modern of nations while remaining faithful to herself."

दुनिया में भारतवर्ष को ही यह श्रेय मिला है कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने का भी इसका एक तरीका अलग रहा और इसीलिए इस देश में आर्थिक समता स्थापित करने के लिए भी इसका एक अलग रास्ता रहेगा जो भारतीय संस्कृति और बापू की विचारधारा के अनुकूल है । इसलिए न तो अर्थ शास्त्र की दृष्टि से और न तो व्यावहारिकता की दृष्टि से इसके सम्बन्ध में विचार होना चाहिए । और मैंने पिछली बार कहा था कि इंगलैंड में भी इण्डस्ट्रियल ओनरशिप बिल पास हो चुका है । तो जब दूसरे दूसरे देशों में स्काट बैडर्स एक्सपेरिमेंट हुए और यहां भी विजय मर्चेंट का ऐक्सपेरिमेंट हुआ जिसके बारे में मैं कह चुका हूं । इसलिए हम लोगों को इसके सम्बन्ध में ट्रायल देना

चाहिए। हम यह नहीं कहते कि यह बिल कम्पलसरी है। अभी तो एक ऐनेबलिंग बिल है जैसे भूदान का बिल था या ग्रामदान का ऐनेबलिंग ऐक्ट था। जो भी देना चाहता था उसके लिए कानून ने मान्यता दी थी।

अभी मैं कह चुका हूं कि मेरे पास बीसों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें दिखला सकता हूं कि जो लोग ट्रस्टीशिप की तरह काम कर चुके हैं, उसका कोई राजनीतिक रूप नहीं है। अगर कानून कोई संरक्षण देता है तो कोई उसमें कठिनाई नहीं है।

हमारे सामने इतना प्रश्न है, समाजवाद स्थापित करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, हमने संविधान के मूल में समाजवाद को स्वीकार किया है, लेकिन प्रश्न है कि समाजवाद प्राप्ति का क्या माध्यम हो सकता है। क्या वर्ग संघर्ष और हिंसा के माध्यम से समाजवाद को प्राप्त करेंगे, या हमारे सामने कोई दूसरे साधन होंगे? अगर हिंसा के रास्ते को छोड़ा तो हमारे सामने समाजवाद स्थापित करने के लिए, समता को लाने के लिए, विषमता को मिटाने के लिए और शोषण को मिटाने के लिए गांधी जी ने जो रास्ता बताया था ट्रस्टीशिप का उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। यह बहुत दुर्भाग्य की बात होगी कि 31 साल के बाद हर पार्टी गांधी जी को नमस्कार करती है, लेकिन जब उनके सिद्धान्तों पर आचरण का प्रश्न आता है तो हम कतराने लगते हैं। इसलिए मैं अपने शिक्षा मंत्री जी से जो अभी कानून मंत्री के प्रभारी के रूप में सामने आये हैं, उनसे कहता हूं और आज फिर कह रहा हूं कि इस बिल को वह स्वीकार करें। बल्कि मैं तो कहूंगा कि इसको स्वीकार कर लेना चाहिए और गांधी जी की भावना को मान लेना चाहिए जिसको डा० राम मनोहर लोहिया ने रखा, जार्ज फर्नान्डिस ने रखा है। माननीय अटल जी ने रखा और उस दिन साठे साहब का भी इसको समर्थन मिला। इसलिए यदि इसको मंत्री जी स्वीकार कर लें तो बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी जल्दीबाजी है तो आप इसको जनमत संग्रह करने के लिए नियम 74 (4) के अधीन परिचालित कर दें।

मैं आशा करता हूं कि आप गांधी जी और लोगों की भावना का ध्यान रखते हुए मेरे इस विनम्र प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे।

श्री वसन्त साठे : (अकोला) : जनमत जानने के लिए जरूर भेजा जाये।

डा० रामजी सिंह : इसीलिए सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि मेरे जनता ट्रस्टीशिप विधेयक को नियम 74 (4) के अन्तर्गत जनमत जानने के लिए भेज दिया जाये।

सभापति महोदय : यह तो नहीं हो सकता है।

डा० रामजी सिंह : सभापति महोदय, पहले भी हुआ है।

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): The member in charge of the Bill is moving that the bill be circulated for eliciting public opinion. I am not objecting to it. I am accepting that motion.

डा० रामजी सिंह : अब सदन की राय से मैं यह निवेदन करता हूं कि मेरे जनता ट्रस्टीशिप विधेयक को बजट सैशन के अन्तिम दिन तक जनमत जानने के लिए भेज दिया जाये ।

MR. CHAIRMAN: There is another difficulty. There is no notice, no date.

SHRI VASANT SATHE: He is perfectly within his right to suggest a date and the House can agree. He has suggested end of budget session and we agree.

डा० रामजी सिंह : सभापति महोदय, आपकी और सदन की अनुमति हो तो जैसा हमारे संसद-कार्य मंत्री श्री वर्मा जी ने अनुभव से सुझाव दिया है, यदि यह समय पर्याप्त न हो तो 15 अगस्त, शुभ दिन है, उस समय तक इसको जनमत जानने के लिए भेजना स्वीकार किया जाये ।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : स्वीकार किया जाये ।

MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House to take this motion into consideration?

HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: In the particular circumstances of the case the motion has been made just at the nick of the time. The Minister also has agreed and the House has agreed. Therefore, I permit this motion to be moved.

DR. RAMJI SINGH: I beg to move:

"That the Janata Trusteeship Bill, 1978 be circulated for the purpose of elicting opinion thereon by the 15th August, 1979."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Janata Trusteeship Bill, 1978, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th August, 1979."

The motion was adopted.

15.20 hrs.

SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) AMENDMENT BILL

(Amendment of section 21 and Second Schedule)

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): I beg to move:

"That the Bill to amend the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974, be taken into consideration."

In moving this Bill I think I can hope for unanimity from all corners of the House because when the Sick Textile Mills (Nationalisation) Bill was being discussed in this House just four year ago, from all corners of the House, this particular propostion got universal support. But at that time, we had a different Government in power. Now, we have a Government that has come to power posing before the people, putting before the people a manifesto saying that they were going to undo all that was done wrongly by the previous Government. I would like to point out that this particular amendment which I am bringing, is an amendment which the then Minister who moved the Bill at that time, Shri B. P. Maurya, refused to accept in spite of the fact that all the representatives of the working class who were in the House plus all the right thinking people such as my comrade friend, Mr. Sathe, supported the amendment that the workers dues should be cleared. This is the simple principle underlying this Bill.

SHRI VASANT SATHE (Akola): I represent the working class particularly the textile industry.